आदेश

भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड राज्य के लिए अधिसूचित औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा विनिर्माणक/सेवा क्षेत्र की स्वतः वित्त पोषित औद्योगिक परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल (Project Appraisal) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने हेतु प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में उल्लिखित अर्हता/अनुभव के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से सेवानिवृत्त निम्नलिखित आवेदकों को उक्त कार्य के सम्पादन हेतु एतद्द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है:

1.	श्री खजान सिंह सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा।	पुष्प विहार, आवास विकास, काशीपुर, उधमसिंह नगर– 244713	9412434474 khajansinghbob@gmail.com
2.	सुश्री दीप्ती दत्ता सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक, ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स।	मकान संख्या–251 के, आमवाला, मंझला, निकट नालापानी बस स्टैण्ड, देहरादून।	8130910666 datta.deepti@gmail.com
3.	श्री मधु गोपाल सिंघल सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक, ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स।	3/2 नेमी रोड़, डालनवाला, देहरादून।	8859120299, 0135–3591914 mgsinghalobc@gmail.com
4.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबन्धक, ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स।	22 उत्सव विहार, निकट अनुराग चौक, देहरादून।	7300801415, 8130483347 ragra51obc@gmail.com
5.	श्री मनोहर सिंह पांगती सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक।	पुष्प विहार, लाल दन्त रोड़, बिष्ट धारा, बिथौड़िया नम्बर–1, हल्द्वानी, नैनीताल, 263139	9411132221 pangtey.manohar@gmail.com
6.	श्री पवन कुमार रूइया सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक।	136ए, ईसी रोड़, देहरादून।	8130939555 ruiya_pk@yahoo.co.in

औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल के लिए सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को निम्नानुसार शुल्क देय होगा और यह शुल्क औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्वयं सीधे भुगतान किया जायेगा। इकाई के प्रोजेक्ट एप्रेजल का कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान इकाई द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को स्वयं सीधे करने के पश्चात प्रोजेक्ट एप्रेजल रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रम संख्या	परियोजना लागत	प्रति परियोजना अपेक्षित मानदेय की राशि (प्रति अधिकारी)/प्रति परियोजना
1.	रू. 5 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 15,000
2.	रू. 5 से 10 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 20,000
3.	रू. 10 करोड़ से अधिक के प्लांट व मशीनरी में पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 25,000

* सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में भवन की लागत भी अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत सम्मिलित होगी।

औद्योगिक परियोजनाओं का प्रोजेक्ट एप्रेजल, इकाईयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। यदि परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल के लिए इकाईयों का स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, तो एप्रेजल हेतु निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण हेतु यात्रा में किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान इकाईयों द्वारा सीधे सूचीबद्ध सदस्य को किया जायेगा। प्रोजेक्ट एप्रेजल हेतु औद्योगिक इकाईयों का विवरण/सूचना सूचीबद्ध सदस्य एवं सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को पृथक से दी जायेगी।

(एस ए मुरूगेशन)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर, देहरादून।
टेली नं0– 0135–2728227, फैक्स नं0– 2728226

पत्रांक:4528-ती/उ0नि0/IDS/2020–21 दिनांक:29 दिसम्बर, 2020

Website: www.doiuk.org, www.startuputtarakhand.com, www.investuttarakhand.com, Email- mpr@doiuk.org

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी।
2. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
3. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
5. निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (विशेष योजना अनुभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के पत्र संख्या 1713/VII-3-20/04(02)–एमएसएमई/2019 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

29/12/2020
(एस ए मुरूगेशन)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

आदेश

भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल, 2018 से उत्तराखण्ड राज्य के लिए अधिसूचित औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा विनिर्माणक/सेवा क्षेत्र की स्वतः वित्त पोषित औद्योगिक परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल (Project Appraisal) हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सेवानिवृत्त अधिकारियों के सूचीबद्ध (Empanelment) किये जाने हेतु प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में उल्लिखित अर्हता/अनुभव के आधार पर उद्योग निदेशालय के आदेश संख्या 4528–सी उ0नि0/IDS/2020–21 दिनांकः 29 दिसम्बर, 2020 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सेवानिवृत्त निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त कार्य के सम्पादन हेतु एतद्द्वारा सूचीबद्ध किया जाता हैः

1.	श्री दलीप सिंह पडियार, आर्शीवाद सदन, कृष्णा विहार, फेज–1, आर.के.टेन्ट हाउस रोड़, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी–263139 (मुख्य प्रबन्धक)	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	9412926818
2.	श्री कृष्णानन्द जोशी, त्रियम्बकम नीलियम कालोनी, नियर गोलमाल दहरिया, हल्द्वानी, नैनीताल–263139 (मुख्य प्रबन्धक)	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	9412927459 734570010

औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल के लिए सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को निम्नानुसार शुल्क देय होगा और यह शुल्क औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्वयं सीधे भुगतान किया जायेगा। इकाई के प्रोजेक्ट एप्रेजल का कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान इकाई द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को स्वयं सीधे करने के पश्चात प्रोजेक्ट एप्रेजल रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रम संख्या	परियोजना लागत	प्रति परियोजना अपेक्षित मानदेय की राशि (प्रति अधिकारी)/प्रति परियोजना
1.	रू. 5 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 15,000
2.	रू. 5 से 10 करोड़ तक की प्लांट व मशीनरी में अचल पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 20,000
3.	रू. 10 करोड़ से अधिक के प्लांट व मशीनरी में पूंजी निवेश की परियोजना।*	रू. 25,000

*

सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में भवन की लागत भी अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत सम्मिलित होगी।

औद्योगिक परियोजनाओं का प्रोजेक्ट एप्रेजल, इकाईयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। यदि परियोजनाओं के प्रोजेक्ट एप्रेजल के लिए इकाईयों का स्थलीय निरीक्षण आवश्यक हो, तो एप्रेजल हेतु निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण हेतु यात्रा में किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान इकाईयों द्वारा सीधे सूचीबद्ध सदस्य को किया जायेगा। प्रोजेक्ट एप्रेजल हेतु औद्योगिक इकाईयों का विवरण/सूचना सूचीबद्ध सदस्य एवं सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को पृथक से दी जायेगी।

(एस ए मुरूगेशन)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।

उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेलनगर, देहरादून।
टेली नं0– 0135–2728227, फैक्स नं0– 2728226

पत्रांकः 4837-सी/उ0नि0/**IDS**/2020–21 **दिनांकः** 13 **जनवरी, 2021**

Website: www.doiuk.org, www.startuputtarakhand.com, www.investuttarakhand.com, Email- mpr@doiuk.org

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सूचीबद्ध सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी।
2. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
3. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।
5. निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (विशेष योजना अनुभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के पत्र संख्या 1713/VII-3-20/04(02)–एमएसएमई/2019 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

13/1/2021
(एस ए मुरूगेशन)
महानिदेशक/आयुक्त उद्योग।